राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 73/2015

जगदीश प्रसाद शर्मा

–अपीलार्थी

बनाम

1. निदेशक/आयुक्त, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर, राज.।
2. उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, अजमेर, राज.।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 15.02.2024

उपस्थिति :–

अपीलार्थी की ओर से : श्री डी.पी. शर्मा, अभिभाषक

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : डॉ. पुष्पेन्द्र पाल सिंह, अति.राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थी ने यह तथ्य अंकित किये हैं कि अपीलार्थी अध्यापक ग्रेड–।। के पद पर दिनांक 17.11.1980 को नियुक्त हुआ था। अपीलार्थी को प्रधानाचार्य के पद पर दिनांक 30.08.2007 को पदोन्नति दी गई। जिस पद पर अपनी सेवानिवृत्ति की दिनांक 31.12.2010 तक कार्यरत रहा। अपीलार्थी ने आगे यह तथ्य अंकित किये हैं कि अपीलार्थी को सेवा में 27 वर्ष पूर्ण करने पर दिनांक 17.11.2007 से तृतीय एसीपी का लाभ दिया जाना चाहिए था, परंतु वो लाभ अपीलार्थी को नहीं दिया गया। अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह भी तर्क रहा है कि अपीलार्थी की सेवानिवृत्ति के पश्चात अपीलार्थी को ग्रेचुटी का भुगतान दिनांक 13.01.2015 को किया गया। ऐसे में अपीलार्थी देरी से भुगतान की गई ग्रेचुटी की राशि पर ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी है।
2. अपीलार्थी द्वारा किये गये दोनों प्रश्नों पर विचार किया गया। जहां तक एसीपी का लाभ दिये जाने का प्रश्न है तो इस सम्बन्ध में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा यह जवाब दिया गया है कि अपीलार्थी की दिनांक 30.08.2007 को राजपत्रित पद (प्रधानाध्यापक, मा.वि.) पर पदोन्नति होने से उसे एसीपी का लाभ 27 वर्ष के स्थान पर वित्त विभाग के आदेश दिनांक 12.09.2008 के मद संख्या 19 एवं दिनांक 06.10.2008 के मद संख्या iii(5) व परिपत्र दिनांक 31.12.2009 के मद संख्या 2 (1) व (14) के अनुसार 30 वर्ष की सेवावधि पूर्ण होने पर दिनांक 17.11.2010 से देय होती है। अतः दिनांक 17.11.2007 से तृतीय एसीपी की मांग अपीलार्थी द्वारा किया जाना नियम विरूद्ध है। राज्य सरकार के आदेश दिनांक 28.06.2013 एवं स्पष्टीकरण दिनांक 5.7.2013 चतुर्थ

संशोधन (पुनरीक्षित वेतनमान 2008) 01.01.2006 से लागू कर 01.07.2013 में सेवारत कार्मिकों को ही एसीपी के तहत संशोधित ग्रेड पे–6000/– देना आदेशित होने से उक्त संशोधन अपीलार्थी पर लागू नही होने से वह दिनांक 17.11.2010 को 6000 ग्रेड पे का पात्र नहीं है। क्योंकि अपीलार्थी 31.12.2010 को सेवानिवृत्त हो चुका है। जहां तक 27 वर्षीय एसीपी का लाभ दिये जाने का प्रश्न है तो इस संबंध में प्रत्यर्थी विभाग की आपत्ति रही है कि अपीलार्थी दिनांक 30.08.2007 से राजपत्रित पद अर्थात् प्रधानाध्यापक के पद पर पदोन्नत हो चुका था। इस कारण अपीलार्थी को 27 वर्षीय एसीपी के लाभ के स्थान पर वित्त विभाग के आदेश के अनुसार 30 वर्षीय सेवा पूर्ण करने पर लाभ दिया जाना चाहिए था, परंतु चूंकि अपीलार्थी पूर्व में ही सेवानिवृत्त हो चुका था। इस कारण से 30 वर्षीय लाभ अपीलार्थी को नहीं दिया गया।

3. हमारे द्वारा अपीलार्थी को दिये गये पदोन्नति के लाभ के संबंध में प्रस्तुत दस्तावेज जो अपीलार्थी की ओर से रिजोइण्डर के साथ प्रस्तुत किया गया है, उसका अवलोकन किया गया, जो आयुक्त, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.08.2007 है, जिसमें स्पष्ट है कि अपीलार्थी को उसकी वेतन श्रृंखला एवं पातेय वेतन में छः माह के लिए अथवा विभागीय पदौन्नति समिति से चयनित आशार्थी उपलब्ध होने तक, जो भी पहले हो के लिए प्रधानाध्यापक रामावि/राबामावि पद पर पदस्थापन किया गया था। अतः स्पष्ट है कि अपीलार्थी की नियमित पदोन्नति नहीं की गई बल्कि तदर्थ पदोन्नति थी। अतः अपीलार्थी राजपत्रित कर्मचारी के पद पर नियमित रूप से नियुक्त नहीं हुआ था। अपीलार्थी को तदर्थ/अस्थाई रूप से प्रधानाध्यापक के पद पर नियुक्ति प्रदान किये जाने के कारण उसे मिलने वाले चयनित वेतनमान/एसीपी के लाभ को गलत रूप से रोका गया है। अपीलार्थी की प्रधानाध्यापक के पद पर नियुक्ति अस्थाई रूप से हुई थी, जो उसके पातेय वेतन पर हुई थी, तो निश्चय ही अपीलार्थी को 27 वर्षीय संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर देय तृतीय चयनित वेतनमान/एसीपी का लाभ दिया जाना चाहिए था।

4. अपीलार्थी की ओर से की गई दूसरी आपत्ति पर भी विचार किया गया। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी दिनांक 31.12.2010 को सेवानिवृत्त हुआ था। अपीलार्थी को ग्रेचुटी की राशि दिनांक 13.01.2015 को दी गई। ऐसे में अपीलार्थी को काफी समय पश्चात ग्रेचुटी का भुगतान किया गया, जो उचित नहीं है। इस कारण से अपीलार्थी को ग्रेचुटी की राशि पर ब्याज दिलाया जाये।

5. हमनें अपीलार्थी द्वारा उठाई गई इस आपत्ति पर विचार किया। प्रत्यर्थी विभाग के जवाब से यह स्वीकृत रूप से स्थिति स्पष्ट होती है कि अपीलार्थी को सेवानिवृत्ति के पश्चात ग्रेचुटी का भुगतान जीपीओ संख्या 922632 (आर) दिनांक 13.01.2015 द्वारा राशि 550500/– रूपये का किया गया। इस प्रकार अपीलार्थी को सेवानिवृत्ति की दिनांक 31.12.2010 के बाद दिनांक 13.01.2015 को ग्रेचुटी का भुगतान किया गया है। अतः हम पाते हैं कि अपीलार्थी को उक्त सेवानिवृत्ति का लाभ दिये जाने में देरी हुई है। अतः प्रत्यर्थी विभाग अपीलार्थी को राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम, 1996 के नियम–89 के तहत ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है।

6. परिणामस्वरूप यह अपील स्वीकार की जाती है। प्रत्यर्थी विभाग को आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी को 27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर मिलने वाले चयनित वेतनमान/एसीपी का लाभ प्रदान किया जाये। अपीलार्थी को उक्त लाभ दिये जाने के फलस्वरूप देय एरियर का भुगतान इस आदेश के तीन माह में 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर के साथ अदा किया जाये। अपीलार्थी का जीपीओ, पीपीओ, सीपीओ भी नियमानुसार उपरोक्त के अनुसार संशोधित किया जाये। यह भी आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी को जो ग्रेचुटी का भुगतान दिनांक 13.01.2015 को राशि 550500/– रूपये का किया गया है, उक्त राशि पर अपीलार्थी को राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम, 1996 के नियम–89 के तहत ब्याज का भुगतान भी इस आदेश के तीन माह में किया जाये।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)